



बच्चों को डैन्डेलियन फूल बहुत पसंद होते हैं। रोपदार सफेद भाग पर फूंक मारने से इनके बीज उड़कर चारों तरफ फैल जाते हैं। डैन्डेलियन के बीज जमीन पर किसी नई जगह पर गिरने से पहले मीलों तक का सफर कर लेते हैं। लेकिन बच्चों की मदद के बिना भी बीज उड़ते हैं और शोधकर्ताओं ने हाल ही में पता लगाया है कि डैन्डेलियन किस प्रकार अपने बीजों का प्रकीर्णन (फैलने की प्रक्रिया) करते हैं। इससे यह समझने में भी मदद मिलेगी कि वे जलवायु परिवर्तन से कैसे डील करते हैं। हरेक बीज 100 के लगभग रोओं से जुड़ा होता है और दोनों को मिलकर पैराशूट जैसी संरचना बन जाती है, जिससे बीजों को फैलने में मदद मिलती है। जब बीज फूल के शीर्ष से अलग होते हैं तो पैराशूट जैसी संरचनाएँ हवा के सहारे बीज को उड़ा ले जाती हैं। शोध लेखक नाओमी नाकायामा (इम्पीरियल कॉलेज लंदन) ने कहा, "हमने देखा कि सुबह जब कोहरा होता है तब डैन्डेलियन पैराशूट्स बंद रहते हैं पर जब धूप खिल जाती है तो वे खुल जाते हैं। नाओमी ने कहा, हमने अध्ययन किया कि डैन्डेलियन कैसे उड़ते हैं, फिर हमने यह पता लगाने की कोशिश की कि पैराशूट के बंद होने से इनकी उड़ान पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके बाद हमने यह देखने का प्रयास भी किया कि रूप बदलने की इस प्रक्रिया को कैसे नियंत्रित किया जाता है। जब हवा में नमी होती है तो रोपदार पैराशूट बंद हो जाता है, क्योंकि हवा में नमी का अर्थ है हवा धीमी होना। जब खुश्की होती है तो हवा भी तेज चलती है इस समय पैराशूट खुल जाते हैं और बीज उड़ जाते हैं। नेचर कम्युनिकेशन नामक जर्नल में छपे नतीजों के अनुसार शोधकर्ताओं ने पाया कि पैराशूट जैसी संरचनाएँ गति देने वाली एक डिवाइस (प्रवर्तक) का प्रयोग करके खुलती बंद होती हैं। एक ऐसी डिवाइस जो एनर्जी व सिग्नल को गति में तब्दील करती है। लेकिन यह ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं करती। यह जानने के बाद कि, बीज फैलाने के लिए डैन्डेलियन का उत्प्रेरक (ट्रिगर) क्या है, वैज्ञानिकों को यह समझने में आसानी होगी कि ये क्लाइमेट चेंज से कैसे निपटते हैं। इससे वैज्ञानिकों को नए सॉल्यूट्स रोज़ेबट्स बनाने में मदद मिल सकती है। नाकायामा ने कहा, डैन्डेलियन इकोसिस्टम की नींव है, ये कीड़ों व पक्षियों का भोजन हैं और पर्यावरण के प्रति भी संवेदनशील हैं।

अम्बेडकर लाॅ युनिवर्सिटी के वी.सी. की नियुक्ति के खिलाफ सुनवाई जारी

जयपुर, (का.प्र.)। राजस्थान हाईकोर्ट में भीमराव अम्बेडकर लाॅ युनिवर्सिटी के वी.सी. की नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई आज भी जारी रही। अदालत ने शुक्रवार को भी दोपहर तीन बजे से सुनवाई जारी रखने को कहा।

सुनवाई के दौरान भीमराव अम्बेडकर लाॅ युनिवर्सिटी के वर्तमान वी.सी. की ओर से पैरवी कर रहे अरिंद अश्विक्ता कमलाकर शर्मा ने अदालत को कहा कि जिस एक्ट के तहत इस विश्वविद्यालय का गठन किया गया है, उस एक्ट में प्रथम वी.सी. को चुनने के लिये कोई मेम्बर्स के विषय में स्पष्ट जानकारी दी गई है।

जैसा कि विदित है कि प्रथम वी.सी. की चयन प्रक्रिया के लिये कॉलेज प्रशासन के प्रतिनिधि बोर्ड में शामिल हो ही नहीं सकते। इसीलिये प्रथम वी.सी. का चयन ट्रांजिशनल (अवस्था परिवर्तन कालिक) प्रक्रिया है, जब तक कि कॉलेज में पढ़ाने वाले सभी शिक्षक और प्रशासन अधिकारी

वी.सी. डॉक्टर देव स्वरूप की ओर से पैरवी कर रहे वकील अश्विक्ता कमलाकर शर्मा ने कहा कि, क्योंकि केन्द्र सरकार ने प्रथम वी.सी. की नियुक्ति के विषय में कोई स्पष्ट कानून नहीं बनाया है, इसलिए अदालत को राज्य सरकार द्वारा पारित एक्ट, (जिसके तहत प्रथम वी.सी. को नियुक्त किया गया है,) को केन्द्र सरकार के कानूनों के साथ समंजस्य बिठाकर पढ़ना चाहिये।

वहीं याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुनील समदड़िया ने कहा कि यू.जी.सी. ने 2018 में लिखित गाइडलाइन पारित की थी, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि वी.सी. का चयन करने के लिए एक्टि सर्च कमेटी में वी.सी. का प्रतिनिधि होना चाहिये, उन्होंने कहा कि अम्बेडकर लाॅ युनिवर्सिटी के वी.सी. की नियुक्ति में इस नियम को पूरी तरह अनदेखा किया गया और अयोग्य व्यक्ति को वी.सी. के पद पर चुना गया।

साथ समंजस्य के साथ पढ़ना चाहिये।

वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुनील समदड़िया ने अदालत को बताया कि यू.जी.सी., जो सभी विश्वविद्यालयों के लिये मापदंड तय करती है, ने 2018 में नई गाइड लाइन जारी की थी जिसके तहत वी.सी. के चयन प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत नियम कायदे लिखे गये हैं। इस गाइड लाइन में स्पष्ट लिखा है कि वी.सी. का चयन करने के लिये सर्च कमेटी में यू.जी.सी.का प्रतिनिधि भी शामिल होना चाहिये। उन्होंने बताया कि अम्बेडकर लाॅ युनिवर्सिटी जयपुर के वी.सी. के चयन के लिये गठित सर्च कमेटी/बोर्ड में यू.जी.सी. की 2018 की गाइड लाइन को बिलकुल अनदेखा कर दिया गया और यू.जी.सी. के प्रतिनिधि को इस सर्च कमेटी का हिस्सा नहीं बनाया गया। इसलिये एक ऐसे व्यक्ति को वी.सी. के पद पर चयनित किया गया, जो विधि स्नातक भी नहीं है। अदालत में इस मामले में शुक्रवार को भी बहस जारी रहेगी।

नियुक्त नहीं किये जाते और यू.जी.सी. विषय में कोई कानून नहीं है, इसीलिये अदालत को राज्य सरकार द्वारा पारित भीमराव अम्बेडकर लाॅ युनिवर्सिटी एक्ट, 2019 को केंद्र के कानून के

अदालत को राज्य सरकार द्वारा पारित भीमराव अम्बेडकर लाॅ युनिवर्सिटी एक्ट, 2019 को केंद्र के कानून के

डॉनल्ड ट्रम्प ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

रिपब्लिक का 63 प्रतिशत को ट्रम्प को एक बड़ा व्यक्तित्व बने रहना देना चाहता है, उसमें 39 प्रतिशत वे हैं जो ट्रम्प को वर्ष 2024 में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में देखना चाहते हैं। शेष 23 प्रतिशत का कहना है कि जहां वे ट्रम्प के एक राष्ट्रीय राजनीतिक व्यक्तित्व रूप में बने रहना पसन्द करेंगे, लेकिन वहीं वे यह भी चाहेंगे कि ट्रम्प अपने कद का उपयोग राष्ट्रपति पद के ऐसे किसी अन्य उम्मीदवार का समर्थन करने में करें जो उनके विचारों से सहमत रहता हो।

जहाँ स्नातक एवं इससे ज्यादा ऊँची शिक्षा प्राप्त आधे रिपब्लिकन कहते हैं ट्रम्प एक बड़ी राजनैतिक हस्ती बने रहने चाहिये, वहीं कम शिक्षित 69 प्रतिशत रिपब्लिकन ऐसा चाहते हैं। कॉलेज के स्नातकों की अपेक्षा, कॉलेज शिक्षा तक पहुँचे तथा और भी कम शिक्षित रिपब्लिकन इस बात को ज्यादा कहते हैं कि ट्रम्प को राष्ट्रपति चुनाव एक बार फिर लड़ना चाहिये। कम पढ़े-लिखे 45 प्रतिशत लोग कहते हैं कि 2024 में राष्ट्रपति चुनाव स्वयं ट्रम्प को ही लड़ना चाहिये, जबकि ऐसा कहने वाले रिपब्लिकन कॉलेज ग्रेजुएट केवल 26 प्रतिशत ही हैं। अनुदार तथा रूढ़िवादी रिपब्लिकनों की तुलना में नरमपंथी तथा उदार रिपब्लिकन ऐसा कम ही कहते हैं कि ट्रम्प को राष्ट्रीय राजनैतिक परिदृश्य में बने रहना चाहिये। (52 प्रतिशत वरिष्ठ 69 प्रतिशत)।

जहाँ तक बाइडन का प्रश्न है, डेमोक्रेट 2024 में राष्ट्रपति की उम्र तथा पुनरुत्थान रिपब्लिकन पार्टी का सामना करने की उनकी सामर्थ्य को लेकर बहुत चिन्तित है। राष्ट्रपति 79 वर्ष के हो चुके हैं तथा अब तक के सर्वाधिक उम्रदराज राष्ट्रपति हैं। अगर वे दोबारा चुनाव लड़ते हैं तथा चुनाव जीत जाते हैं, तो जनवरी 2025 में, जब वे राष्ट्रपति के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल शुरू करेंगे, उनकी उम्र 82 वर्ष हो चुकी होगी।

पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट इस बात पर जोर दे रही है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख मुद्दों से संबंधित प्रमुख विधेयकों को पारित कराने में उनके बार-बार विफल होने से राष्ट्रपति के समर्थन की रेटिंग गिर रही है। प्रमुख डेमोक्रेटिक मुद्दों में शामिल हैं- मतदान अधिकार टैक्स, इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश तथा जलवायु परिवर्तन-फंडिंग। इसके अतिरिक्त, उनकी प्रशासनिक कमजोरी का संदेश भी जनता तक जा रही रहा है। लम्बी खिंचती जा रही कोविड-19 महापारी, महँगाई तथा यूक्रेन युद्ध जैसे अन्य वैश्विक मुद्दे, जो बाइडन की पकड़ से बाहर हो गये हैं, के कारण भी उपभोक्ता-आत्मविश्वास कमजोर हो गया है तथा पूरे देश की मन:स्थिति निराशावादी हो गई है।

सी.ए.ए...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

समक्ष लंबित है। इनमें कहा गया है कि सी.ए.ए. गैर मुस्लिमों को नागरिकता प्रदान करने में उदारता बरतता है और इस प्रोसेस को फास्ट-ट्रैक करता है, लेकिन यह धर्म आधारित भेदभाव को प्रोत्साहित करता है, जिसकी भारतीय संविधान में अनुमति नहीं है।

सरकार ने वर्ष 2020 में प्रस्तुत अपने शपथ-पत्र में कहा था कि "सी.ए.ए. एक विशिष्ट संशोधन है जिसका तात्पर्य अतिविशेष देशों में मौजूद विशेष समस्या का निराकरण करना है, पानी कि अति विशेष देशों में धर्मभासित संवैधानिक स्थिति के कारण हो रहा धार्मिक उत्पीड़न और भारत में पहले से रह रहे मुस्लिमों का इससे कोई लेना देना नहीं है।" शपथ पत्र में आगे स्पष्ट किया गया था कि संशोधन से पूर्व में विद्यमान रहे किसी भी नागरिक अधिकार पर सी.ए.ए. अतिक्रमण नहीं करता है और किसी भी रूप में किसी भी भारतीय नागरिक के अधिकार, लोकतांत्रिक या धर्मनिरपेक्ष अधिकारों को प्रभावित करने का इसका मन्तव्य नहीं है।

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

भेज दिया गया। चैक का विवरण, जिसमें अंक भी शामिल थे, कन्नड़ भाषा में अंकित था। हुआ यह कि चैक में भाषा का अवरोध आ गया तथा सम्भवतः इसी कारण, कन्नड़ भाषा में लिखे अंकों की पहचान में कुछ त्रुटि हो गई। अंकों की गलत पहचान के फलस्वरूप, चैक एस.बी.आई. की कलियाल शाखा ने डिस्अनर कर दिया। इसके बाद, इनामदार ने केंजूरम फोरम में इसकी शिकायत की तथा बुधवार को फोरम ने एस.बी.आई. को सेवा की कमी का दोषी माना तथा बैंक पर जुर्माना कर दिया। फोरम में, अध्यक्ष इराणा भूते के अतिरिक्त, दो सदस्य

वी.ए.बोलिशेट्टी तथा पी.सी. हीरमत थे। कन्नड़ भाषा-समर्थक ऐक्टिविस्टों ने केंजूरम फोरम के इस निर्णय के स्वागत में जश्न मनाए। ये लोग, उनके अनुसार "हिन्दी के दबदबे तथा हिन्दी धोपने" के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। वे ऐसे बहुत से उदाहरण देते हैं कि राष्ट्रीयकृत बैंकों से उदाहरण देते हैं कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के कन्नड़ भाषा में बोलने वाले लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया गया।" कन्नड़ डैवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन टी.एस. नागभरन ने कहा कि यह फैसला एक नज़ीर बन सकता है। उन्होंने कहा, "पी.एस.यू. तथा केन्द्रीय ऑफिस क्षेत्रीय भाषाओं का

सम्मान नहीं करते।" बैंक सेवाओं के लिये दी जाने वाली अर्जियाँ अगर कन्नड़ में लिखी होती हैं, तो या तो वे अटक दी जाती हैं या उन पर ध्यान नहीं दिया जाता तथा ऐसी ग्रामीण लोगों, जो हिन्दी या अंग्रेजी नहीं जानते, को प्रायः अपमानजनक तरीके वहाँ से चले जाने के लिये कह दिया जाता है। एक कन्नड़ ऐक्टिविस्ट ने कहा कि चूँकि राष्ट्रीयकृत बैंकों के बहुत से कर्मचारी कर्नाटक से बाहर के होते हैं, इसलिये उन्हें स्थानीय भाषा कन्नड़ नहीं आती, किन्तु दुख की बात यह है कि वे स्थानीय भाषा सीखने की कोशिश भी नहीं करते। उसे ऐक्टिविस्ट ने कहा कि कई

राजस्थान के गृह राज्य मंत्री के यहां आयकर विभाग की कार्यवाही दूसरे दिन भी जारी रही

सर्च के दौरान फर्जी कम्पनियों से जुड़ी जानकारी सामने आई, आधा दर्जन जगहों से बड़ा कैश भी बरामद

■ गृह राज्यमंत्री राजेन्द्र यादव के कई रिश्तेदारों पर आयकर विभाग का शिकंजा कसा जा रहा है।

■ ज्ञातव्य है, कि मिड डे मील में अनियमितताओं के मामले में राजस्थान के गृह राज्यमंत्री राजेन्द्र यादव के राजस्थान सहित तीन अन्य राज्यों में मौजूद ठिकानों पर आयकर की जांच चल रही है।

जयपुर, 8 सितम्बर (का.प्र.)। मिड डे मील में अनियमितताओं के मामले में राजस्थान के गृह राज्य मंत्री राजेन्द्र यादव के राजस्थान सहित तीन अन्य राज्यों में कई ठिकानों पर चल रहा आयकर विभाग का सर्वे दूसरे दिन भी जारी रहा। बताया जा रहा है कि, गृह राज्य मंत्री के कई नजदीकी रिश्तेदारों पर आयकर विभाग शिकंजा कसा जा रहा है। अभी तक बड़ी संख्या में टैक्स चोरी के दस्तावेज बरामद हुए हैं। आईटी सर्च के दौरान फर्जी कंपनियों से जुड़ी जानकारी भी सामने आई है। आधा दर्जन जगहों से भी सर्च के दौरान बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ है।

ऐसा माना जाता है कि, राजेन्द्र सिंहयादव मुख्यमंत्री गहलोत के बेहद विश्वासपात्र मंत्री हैं। राजेन्द्र यादव के कोटपुतली, जयपुर, गुडगांव, उत्तराखंड की फैक्ट्री और घरों पर यह सर्च चल रहा है। कोटपुतली स्थित राजस्थान फ्लैक्सबिल पैकिंग लिमिटेड कंपनी है,

जहां पर आटा पैकिंग का काम किया जाता था। यहीं से अन्य जिलों और राज्यों में सप्लाई दी जाती थी। मिड डे मील जानकारी भी सामने आई है। आधा दर्जन जगहों से भी सर्च के दौरान बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ है।

जहां पर आटा पैकिंग का काम किया जाता था। यहीं से अन्य जिलों और राज्यों में सप्लाई दी जाती थी। मिड डे मील जानकारी भी सामने आई है। आधा दर्जन जगहों से भी सर्च के दौरान बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ है।

मजबूत ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

प्रभावित है क्योंकि यह नियंतों की तुलना में स्थानीय मांग पर अधिक निर्भर है। कई लोग इस उपलब्धि का श्रेय सरकार की नीतियों को भी देते हैं, जिनमें सार्वजनिक खर्च में दी गई वृद्धि तथा देनदारों व क्रैडिट गारंटेर्स को दी गई राहत शामिल है और जिसकी वजह से महंगाई को तुलनात्मक रूप से नियंत्रित करने और जनता को आर्थिक सदमे से उबारने में मदद मिली है। पश्चिमी देशों की इच्छा के विपरीत रूप से कम कीमत पर तेल खरीदने ने ऊर्जा की कीमत वृद्धि पर लागम कसने में मदद की है।

डेटा: भारतीय अर्थव्यवस्था अब दुनिया में पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। उसने अपने पूर्व उपनिवेशवादी ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है।

चुनौतियाँ: शिक्षित होकर प्रतिबंध नौकरी की तलाश में बेरोजगारों की जमात में जुड़े युवाओं को पर्याप्त नौकरियाँ देने में भारतीय अर्थव्यवस्था असमर्थ बनी हुई है और विश्लेषकों के अनुसार आर्थिक वृद्धि की लय को बनाए रखना मुश्किल हो रहा है। आर्थिक वृद्धि के अगले वर्ष करीब 6 प्रतिशत नीचे गिरने का अनुमान लगाया जा रहा है।

चावल के एक्सपोर्ट पर 20% एक्साइज ड्यूटी लगेगी

सरकार का कहना है कि, फसल खराबे के कारण बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए यह फैसला किया गया है

■ गौरतलब है कि, यू.पी. और बिहार में बारिश की भारी कमी के कारण इस बार चावल की फसल बहुत कम हुई है।

नई दिल्ली, 8 सितंबर। भारत में चावल की कीमतों को कंट्रोल में लाने के लिए केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। सरकार ने चावल के विभिन्न ग्रेड के निर्यात पर 20 प्रतिशत शुल्क लगाया है। दरअसल, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे प्रमुख चावल उत्पादक राज्यों में औसत से कम बारिश की वजह से चावल के उत्पादन में दिक्कत आने की आशंका है। हालांकि, इससे पहले केंद्र सरकार ने कहा था कि चावल के निर्यात पर कोई प्रतिबंध लगाने की योजना नहीं है। सरकार की ओर से कहा गया था कि धरेलू जलकों को पूरा करने के लिए पर्याप्त बफर स्टॉक है। बता दें कि चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत ने 21.2

मिलियन टन चावल का निर्यात किया था। हालांकि, इस साल कम बारिश के कारण धान की बुवाई का रकबा 6 प्रतिशत घटकर 367.55 लाख हेक्टेयर रह गया है। चालू खरीफ सीजन के 26 अगस्त तक, झारखंड में 10.51 लाख हेक्टेयर, पश्चिम बंगाल (4.62 लाख हेक्टेयर), छत्तीसगढ़ (3.45 लाख हेक्टेयर), उत्तर प्रदेश (2.63 लाख हेक्टेयर), बिहार से धान का काम रकबा बताया गया है।

‘सिखों की पगड़ी और कृपाण से हिज़ाब की तुलना उचित नहीं’

सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ताओं ने दलील दी कि, संवैधानिक योजनाओं में हिज़ाब का कोई उल्लेख नहीं है

■ याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने दलील दी कि, इसका कहां उल्लेख है कि, हिज़ाब पहनने ना पहनने से किसी की इज्जत कम हो रही है। लेकिन राज्य की सुरक्षा का अधिकार वहां की सरकारों को है, इस हेतु वे जैसा चाहें उचित फैसला ले सकती हैं।

पीठ ने कहा कि पगड़ी और कृपाण सिखों के लिए आवश्यक है। इसलिए, सिखों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी से तुलना करना अनुचित होगा क्योंकि सिखों के लिए पांच-चिजों को अनिवार्य माना गया है।

याचिकाकर्ताओं से एक की ओर से पेश हुए वकील निजामुद्दीन

पाशा की सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने इसका अवलोकन किया। फ्रांस के विपरीत, यहां सिख लड़के स्कूल जाने के लिए पगड़ी पहनते हैं और इससे स्कूल के अनुशासन में कोई बाधा नहीं आती है। न्यायमूर्ति गुप्ता ने पाशा से कहा कि कृपाण हिज़ाब की तुलना सिख

धर्म से न करें क्योंकि यह (सिख धर्म) पूरी तरह से भारतीय संस्कृति में समाया हुआ है। एक अन्य याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने कहा कि राज्य धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए कानून बना सकता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम एक सामाजिक कल्याण कानून है और फिर वे कहते हैं कि हिज़ाब को प्रतिबंधित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक शिक्षा अधिनियम की प्रस्तावना में कहा गया है कि अधिकार पर कोई भी प्रतिबंध प्रत्यक्ष और निरिक्त होना चाहिए कि अप्रत्यक्ष या अनुमानित।

‘इतना गुस्सा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पर इतनी चिंतित क्यों थी। मैं विदेशी मामलों और दिपक्षीय मसलों पर बात करना नहीं चाहती हूँ पर मैंने देखा कि जब भी मुझे किसी बाहरी देश ने निमंत्रण दिया है तो भारत सरकार ने उसमें रूकावट डाली है। मैं जानना चाहती हूँ केंद्र सरकार को विदेशी अतिथियों से मेरे मिलने में किस बात का डर है।"

उन्होंने तुणमूल कांग्रेस की एक विशेष मीटिंग को संबोधित करते हुये कहा, "बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शोख हसीना के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं लेकिन (केन्द्र) ने उनकी यात्रा का हिस्सा बनने के लिये मुझे आमंत्रित नहीं किया।"

ऐसा लगता है कि ऐसी दो घटनाओं, जिन्हें उनके "अपमान" के रूप में देखा जा रहा है, ने बनर्जी को ऐसा कहने के लिये बाध्य कर दिया है। बनर्जी ने कहा कि वे तथा पड़ोसी राज्यों के अन्य मुख्यमंत्री 2024 में भाजपा को हराने के लिये एकजुट होंगे।

पार्टी मीटिंग में, उन्होंने अपने प्रिय नारे "खेला होवे" को दोहराया तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर कटाक्ष किया- "आपके "मन की बात" शीघ्र ही "मन की व्यथा" बन जायेगी।"

उन्होंने अपने पार्टीजनों को हार्दिक साधुवाद देते हुये तथा उनकी प्रशंसा करते हुये कहा, "उन्होंने हर विधायक को 10 करोड़ रु. की पेशकश करते हुये, सरकार गिराने की कोशिश की थी। मैंने उन्हें रीं हाथों पकड़ लिया था। हमने झारखंड बचा लिया। "खेला होवे।" हम पंचायत चुनाव शान्ति पूर्वक सम्पन्न करेंगे, और फिर देखना, 2024 के चुनावों के लिये हम किस तरह खेल खेलते हैं।"

ममता बजर्जी ने कहा, "खेल को खिलाप का आह्वान किया कि वे भाजपा के खिलाफ संघर्ष के लिये सक्रिय हो जायें।

योजना बंगाल में बनेगी। अब हम सब साथ हैं। नीतीश कुमार हैं, अखिलेश यादव हैं, हेमन्त सोरेन हैं। मैं हूँ। हम सब मित्र एक साथ हैं। सभी दल एकजुट हैं और 280-300 सीटों का उनका घमंड ही उनकी सजा बन जायेगा। याद रखिये, राजीव गांधी के पास 400 सीटें थीं, लेकिन वे रही नहीं।"

उन्होंने कहा कि केवल पाँच राज्यों में ही, जिनकी सूची उन्होंने बनाई है, भाजपा अपनी 100 सीटें गँवाएगी। उन्होंने कहा, "सरकार कैसे बना पायेगी?"

झारखंड के तीन कांग्रेस विधायक 30 जुलाई को उसक समय गिरफ्तार कर लिये गये थे, जब उनकी कार परिषद बंगाल के हावड़ा नगर में इंटरस्टेट की गई थी तथा करीब 49 लाख रु. का कैश उनके पास गया था। उन विधायकों ने दृढ़तापूर्वक कहा था कि यह पैसा उनके राज्य में आयोजित होने वाले एक आदिवासी कार्यक्रम के लिये साड़ियाँ खरीदने के लिये है।

कांग्रेस, जो झारखंड की जे.एम.एम. के नेतृत्व वाली सरकार का हिस्सा है, ने दावा किया था कि भाजपा, विधायकों को 10 करोड़ रु. तथा मंत्री पद की पेशकश करे हुये, हेमन्त सोरेन सरकार को गिराने की कोशिश कर रही थी।

ममता बनर्जी ने कहा, "भाजपा सोचती है कि वह हमें सी.बी.आई. तथा प्रवर्तन निदेशालय की धमकियों से डरा सकती है। वह इस प्रकार की चालबाजी जितना ज्यादा करेगी, अगले साल होने वाले पंचायत चुनावों तथा 2024 के लोकसभा चुनावों में, वह हर के उतनी ही ज्यादा नजदीक जायेगी।"

उन्होंने कहा, "99 प्रतिशत टी.एम.सी. साफ-स्वच्छ, ईमानदार तथा सामाजिक कार्य के प्रति समर्पित है। अगर एक-दो लोग कुछ गलत करते भी हैं, तो उनसे निबटने के लिये कानून है। पार्टी (ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही करेगी।"